FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम—रुपनगढ, जिला—अजमेर

कालूराम बनाम भंवरलाल

किस्म मुकदमा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नम्बर—89 वर्ष—2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री दशरथ वैष्णव ने अन्तर्गत धारा—212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया गया। वकील प्रार्थी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः ग्राम रूपनगढ़ के वादग्रस्त ख0न0 510, 610 व 611 भूमि में अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी में उनके हिस्से तक कृषि कार्य में दखलंदाजी नही करेंगे तदनुसार मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। उक्तानुसार अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पालना सुनिश्चित करेंगे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रांवली दिनांक 05.09.2024 को पेश हों। [signature] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
5-9-24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए प्रकरण में नोट-प्रेस जाहिर किया। उक्त प्रकरण नोट-प्रेस होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	इस उक्त प्रकरण में कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं चाहिए। Not Press Sir [illegible] [signature] दशरथ वैष्णव (एडवोकेट) [signature] AJ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.24 13:21:00 IST
Reason: SelfAttested